राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3251/2024

शिवदयाल यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), सीकर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, सीकर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), नीम का थाना।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.11.2024
आदेश की दिनांक : 06.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में शिक्षक ग्रेड–III के पद पर दिनांक 20.01.1997 के आदेश द्वारा 1200–2050 के वेतनमान और 1200 रुपये प्रति माह के मूल वेतन के साथ स्कूल सत्रावसान तक अन्य भत्तों के साथ नियुक्ति दी गई और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुमास जगीर सीकर में नियुक्ति दी गई। (अनुलग्नक–1) नियुक्ति आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने दिनांक 1.02.1997 को अपनी सेवाएं शुरू कीं और अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को गर्मी की छुट्टियों के बदले वेतन और

अन्य लाभ और वेतन वृद्धि देने से इनकार कर दिया। (अनुलग्नक–2) उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया और अपीलार्थी को सेवाओं से हटा दिया गया और दिनांक 31.05.1997 को कार्यमुक्त कर दिया गया। उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश पूरा होने पर अपीलार्थी को दिनांक 28.06.1997 के आदेश द्वारा पुनः अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पूर्व में दी गई नियुक्ति 1200–2050 रुपये के वेतनमान के साथ दी गई थी, उसे पुनः दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति दी गई और अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.1997 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुमास जागीर जिला सीकर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। (अनुलग्नक–3) उसके बाद 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अपीलार्थी के पक्ष में चयन ग्रेड भी स्वीकृत किया गया है और इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के पक्ष में एक आदेश जारी किया है। अपीलार्थी को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद चयन वेतनमान भी स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी की शिकायत यह है कि उसे दो बार नियुक्त किया गया था, पहली नियुक्ति गर्मी की छुट्टियों से पहले हुई थी और उसके बाद उसे हटा दिया गया और गर्मी की छुट्टियां पूरी होने के बाद उसे फिर से नियुक्त किया गया, इसलिए अपीलार्थी सेवा के लाभ और गर्मी की छुट्टियों के लिए वेतन पाने का हकदार था। प्रत्यर्थी विभाग ने उपरोक्त बातों से इनकार किया। अपीलार्थी की नियुक्ति के अनुसार वह गर्मी की छुट्टियों के वेतन का लाभ पाने का पूरी तरह से हकदार है और प्रत्यर्थी विभाग गर्मी की छुट्टियों का वेतन देने के लिए बाध्य हैं। अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के रूप में पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अरनिया ब्लॉक श्रीमदपुर जिला नीम का थाना में वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर कार्यरत है। जोरावर सिंह बनाम राज्य एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 555/2003 के समान प्रकृति के मामले में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिट याचिका को अनुमति दी और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश जारी किए कि वे दिनांक 14.02.1992 को सरकारी सेवा में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि मानकर अपीलार्थी को चयन ग्रेड की अनुमति दें। अपीलार्थी वर्ष 1992 की छुट्टियों की अवधि के लिए वेतन सहित अन्य सभी सहायक और परिणामी लाभों का भी हकदार है। (अनुलग्नक–4) तत्पश्चात दिनांक 07.11.2006 के आदेश की अनुपालना में जिला शिक्षा अधिकारी जालोर ने जोरावर सिंह के मामले की अनुशंसा की और वेतन निर्धारण के लिए आवेदन किया तथा ऐसे मामले में अपील न करने का निर्णय भी लिया। अपीलकर्ता जैसे समान स्थिति वाले

अभ्यर्थियों को संबंधित डीईओ द्वारा जारी अलग–अलग आदेशों के तहत ग्रीष्मावकाश के लिए परिणामी लाभ प्रदान किया गया। डीईओ अलवर ने दिनांक 07.11.2022 के आदेश के तहत ग्रीष्मावकाश से पहले प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से अभ्यर्थियों की सेवाओं की गणना की। इसी प्रकार डीईओ अजमेर ने दिनांक 14.02.2024 के आदेश के तहत समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को ग्रीष्मावकाश के निर्धारण का लाभ प्रदान किया तथा डीईओ जालोर ने भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में ऐसे लाभ प्रदान किए। (अनुलग्नक–5) संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ने भी अभ्यर्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश भुगतान का लाभ दिया है तथा इस संबंध में उन्होंने दिनांक 07.03.2017 को एक पत्र जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश वेतन का लाभ देने के संबंध में। श्री योगेश कुमार पारीक ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य और अन्य दायर की। उक्त रिट याचिका दिनांक 20.1.2014 को माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई और माननीय न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को गर्मी की छुट्टियों का वेतन सभी लाभों के साथ दें।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को वरिष्ठता, पदोन्नति और ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन प्रदान करें तथा साथ ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उसकी सेवा की गणना करते हुए वेतन वृद्धि भी प्रदान करें।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में

अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य